Conduct of Election Rules, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 21 C

(see Rule 64)

(For Use in General Election When Seat is Contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Lagislative Assembly of Rajasthan State From 146-SIROHI Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declared that-

Shri SANYAM LODHA
NAGAR SETHO KI HAVELI,
SHEOGANJ, DISTT-SIROHI

sponsored by (INDEPENDENT)

(Name of recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that house from the above Constituency.

Place : Sirohi

Date: 11th December, 2018

(GOPAL PARIHAR)
RETURNING OFFICER
146 AC SIROHI
(SDM) SIROHI
(Gopal Parihar)
Returning Officer

Assembly Constituency Sirohi (146) (Sub Divisional and Sub Magistrate, Sirohi)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश) प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिये) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1651 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

सिरोही-146 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मै घोषणा करता हूं कि —

श्री संयम लोढ़ा नगर सेठों की हवेली, शिवगंज, जिला—सिरोही

जो (निर्दलीय) (मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये।

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये है।

स्थान – सिरोही दिनांक – 11 दिसम्बर 2018

> (गोपाल परिहार) रिटर्निंग ऑफिसर 146—सिरोही विधानसभा क्षेत्र (एस.डी.एम.) सिरोही

(गोपाल परिहार) रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सिरोही (146) (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही)